

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

को. १७२२/२४

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दावा

क्रमांक - १७५/२०१५

तारीख हुक्म

२२-७-२४

वकील के लिये
२२-७-२४

22.07.2024

दिनांक 22.4.2024 को इकजाई होने पर वकुलाय मय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर अधिवक्तागण व पक्षकारान् को बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

